UCMS no → 2021/294

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 20)

अज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम कोटा

यूको बैंक **बनाम** ***मैं बालाजी व अन्य***

किस्म मुकद्दमा – प्रार्थना पत्र संशोधन किये जाने हेतु । धारा 14 सरफेसी एक्ट
फैसला दिनांक 17.11.2021

प्रकरण **संख्या** 161 **वर्ष 2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-12-2021	पत्रावली आज पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित । अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आज दिनांक 02.12.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त उनवानी प्रकरण का निस्तारण दिनांक 17.11.2021 को कर दिया था । उक्त प्रकरण में बंधककर्ता की सम्पत्ति का मूल पता 2-V -11 महावीर नगर तृतीय कोटा है तथा चतुर्थ सीमायें– उत्तर में मकान नं0 2- V-10, दक्षिण में रोड़, पूरब में रोड़, पश्चिम में मकान नं0 2-V-12 है । किन्तु प्रार्थी द्वारा पेश किये गये धारा 14 सरफेसी एक्ट के प्रार्थना पत्र एवं धारा 13 (2) नोटिस में टंकन त्रुटि के कारण मकान की चतुर्थ सीमाओं में (V) के स्थान पर (बी) लिखने में आ गया है । जिसे दुरूस्त कर संशोधन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । मूल पत्रावली तलब की गई, पत्रावली का अवलोकन किया । जिस अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में सम्पत्ति के पते में (V) के स्थान पर (बी) लिखने में आ गया है । अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिस अनुसार बंधक सम्पत्ति का पता 2-V -11 महावीर नगर तृतीय कोटा है तथा चर्तुः सीमाओं में भी (V) ही अंकित है किन्तु सहवन से (बी) लिख दिया गया है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के पूर्व प्रकरण संख्या 113/2021 उनवान यूको बैंक बनाम मैसर्स बालाजी एजेन्सी जरिये प्रोपराईटर भैरव नाथ झा व अन्य, आदेश दिनांक 17.11.2021 में प्रथम व द्वितीय पैज पर सम्पत्ति पते में **(बी)** के स्थान पर **(V)** पढ़ा जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल प्रकरण 113/2021 के संलग्न किया जाकर दाखिल दफ्तर हो । जिला मजिस्ट्रेट कोटा (राज0)	

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा